



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी फूलचन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री वंशीधर द्विवेदी, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-23186/प्र0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/16/2026(बैठक दिनांक 04.06.2026) दिनांक-17.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी फूलचन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री वंशीधर द्विवेदी, ग्राम-ताजपुर, थाना-कोतवाली देहात, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.07.2019 की रात्रि को पीड़िता का स्वास्थ्य सही करने की बात लेकर पूजा कराते हुए अपने कुत्सित आशय को पूर्ण करने के उद्देश्य से अलौकिक शक्तियों का भय दिखाकर व भ्रमित कर पीड़िता के घरवालों को कमरे से बाहर करके पीड़िता को प्रसाद के रूप में कुछ खिला कर अर्धबेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 58/2019 में धारा-376 आई०पी०सी० के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय-प्रथम, बलरामपुर के आदेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा 15 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-23.11.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा 07 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर होने, बंदी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 08.07.2019 की रात्रि को पीड़िता का स्वास्थ्य सही करने की बात लेकर पूजा कराते हुए अपने कुत्सित आशय को पूर्ण करने के उद्देश्य से अलौकिक शक्तियों का भय दिखाकर व भ्रमित कर पीड़िता के घरवालों को कमरे से बाहर करके पीड़िता को प्रसाद के रूप में कुछ खिला कर अर्धबेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फूलचन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री वंशीधर द्विवेदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र द्विवेदी (बन्दी संख्या-383/2025) पुत्र वंशीधर द्विवेदी, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1233/2026/1341(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक: 23 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी फूलचन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री वंशीधर द्विवेदी, ग्राम-ताजपुर, थाना-कोतवाली देहात, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.07.2019 की रात्रि को पीड़िता का स्वास्थ्य सही करने की बात लेकर पूजा कराते हुए अपने कुत्सित आशय को पूर्ण करने के उद्देश्य से अलौकिक शक्तियों का भय दिखाकर व भ्रमित कर पीड़िता के घरवालों को कमरे से बाहर करके पीड़िता को प्रसाद के रूप में कुछ खिला कर अर्धबेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 58/2019 में धारा-376 आई०पी०सी० के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय-प्रथम, बलरामपुर के आदेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा 15 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-23.11.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा 07 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर होने, बंदी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 08.07.2019 की रात्रि को पीड़िता का स्वास्थ्य सही करने की बात लेकर पूजा कराते हुए अपने कुत्सित आशय को पूर्ण करने के उद्देश्य से अलौकिक शक्तियों का भय दिखाकर व भ्रमित कर पीड़िता के घरवालों को कमरे से बाहर करके पीड़िता को प्रसाद के रूप में कुछ खिला कर अर्धबेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फूलचन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री वंशीधर द्विवेदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।